भा.क.अ.प.-भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान
लाईब्रेरी एवेन्यू, पूसा, नई दिल्ली-12

मिसिल संख्या/F.No. 20(3)/2015-प्रशासन । Admin.I

दिनांक/Dated : 07.03.2017

पृष्ठांकन/ Endorsement

डेयर, नई दिल्ली से अधिसूचना संख्या 1(1)/88-कार्मिक IV दिनांक 23 फरवरी, 2017 जिसकी प्रति संस्थान के वैबसाईट पर उपलब्ध करवा दी गई है । अतः निम्न अधिकारियों/अनुभागों को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :-

The DARE Notification No. 1(1)/88-Per.IV dated 23th February, 2017 is for kind information of all concerned and for the action at their end. The proposal is to endorsed the said information to all Officers/ Sections and to put on the Institute's website by the Head of Computer Application :-

1. निदेशक कार्यालय, भा.कृ.सा.अनु.सं. ।
   Director Office, I.A.S.R.I.
2. राष्ट्रीय अध्येता के निजी सहायक, भा.कृ.सा.अनु.सं. ।
   P.A. to National Fellow, I.A.S.R.I.
3. सभी प्रधान प्रभाग, भा.कृ.सां.अ.सं. को इस अनुरोध के साथ कि उक्त पत्र को उनके प्रभाग में कार्यरत सभी वैज्ञानिकों में पारिचालित करने की कृपया करें ।
   All Head of Divisions, I.A.S.R.I. for circulation among all Scientists.
4. कार्यालय प्रधान के निजी सहायक, भा.कृ.सा.अनु.सं. ।
   P.A. to Head of Office, I.A.S.R.I.
5. गार्ड फाइल / रिर्टन फाइल ।
   Gurad file/Return file.

7/3/17

(चन्द्र वल्लभ)
(CHANDER VALLABH)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी
ASSISTANT ADMINISTRATIVE OFFICER

संख्या 1158A /भा.कृ.अ.प. 28/02/2017
पृष्ठों की संख्या 02

INDEX No. 30/2/2017

F.No.1(1)/88 Per-IV
Government of India
Ministry of Agriculture
(Department of Agricultural Research and Education)
Krishi Bhawan

Dated 23 February, 2017

Notification

In exercise of the power conferred under Rule 40 of the Rules and Bye- Laws of the ICAR Society the Governing Body of ICAR Society in its 238th meeting resolved to amend the Bye-Law 34 of Rules and Bye-Laws of ICAR Society as given below:

Bye-Law No	Existing Provision	Amended Provision
34	The Governing Body may decide from time to time which posts in ICAR shall be tenure posts. The period of tenure will, in the first instance, be five years which may be extended upto another five years	The Governing Body may decide from time to time which posts in ICAR shall be tenure posts. The period of tenure will be upto five years. No extension of tenure will be given. Provided that in case an incumbent occupying Research Management Positions left with less than two years of service before superannuation at the time of completion of tenure, then the tenure may be extended for a period upto superannuation.

This amendment is effective from 19.07.2016 i.e. from the date of amendment of ARS Rules with the approval of Minister of Agriculture & Farmer's welfare and President, ICAR.

This is issued with the approval of competent authority of Government of India as per provision of Rule 40 of Rules and Bye Laws of ICAR Society.

Rajesh Kumar
(Rajesh Kumar)
23/2/2017
Under Secretary to the Government of India

प्रशासन I/Administration
डायरी सं० / DY. No. 186
दिनांक / Date 3/3/17

Distribution:
1. All officers and Sections at ICAR Hqrs Krishi Bhawan/KAB-I&II
2. All Directors of the ICAR Institutes/NRC/ATARIs/PDs/Bureaux
3. Chairman, Members and Secretary, ASRB
4. Establishment Division, DARE
5. PS to Hon'ble AM
6. Sr. PPS to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA, DARE/ICAR
7. Media Unit for publishing on ICAR website
8. Guard File/Spare Copies

2-3-17

30/2/2017

फा.सं.1(1)/88 पीईआर-IV
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
(कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग)
कृषि भवन

दिनांक 23 फरवरी, 2017

अधिसूचना

आईसीएआर सोसायटी के नियम एवं उप-विधियों के नियम 40 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आईसीएआर सोसायटी के अधिशासी निकाय ने अपनी 238 वीं बैठक में आईसीएआर सोसायटी के नियम एवं उप-विधियों की उप-विधि 34 में निम्नानुसार संशोधन करने के लिए संकल्प पारित किया है:

उप-विधि सं.	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
34	शासी निकाय समय-समय पर यह निर्णय ले सकती है कि आईसीएआर के अंतर्गत कौन-कौन से पद सावधिक पद होंगे। पहली बार यह पदावधि 5 वर्ष की होगी, जिसे अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया जा सकता है।	शासी निकाय समय-समय पर यह निर्णय ले सकती है कि आईसीएआर में कौन-कौन से पद सावधिक पद होंगे। यह पदावधि अधिकतम 5 वर्ष की होगी। इस पदावधि का विस्तारीकरण नही होगा। परंतु अनुसंधान प्रबंधन के पदों पर कार्यरत पदधारी, जिनकी पदावधि के पूरा होने के समय अधिवर्षिता से पहले सेवा के 2 से भी कम वर्ष बचे हों, तब यह पदावधि अधिवर्षिता की अवधि तक के लिए बढ़ायी जा सकती है।

यह संशोधन 19.07.2016 से अर्थात् कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं अध्यक्ष, आईसीएआर के अनुमोदन से एआरएस नियमों में संशोधन की तारीख से प्रभावी है।

यह आईसीएआर सोसायटी के नियम एवं उप-विधियों के नियम 40 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राजेश कुमार
(राजेश कुमार)
23/2/2017
अवर सचिव, भारत सरकार

वितरण:

1. आईसीएआर मुख्यालय, कृषि भवन/केएबी-IएवंII में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं अनुभागों को
2. आईसीएआर संस्थानों/एनआरसी/एटीएआरआई/पीडी/ब्यूरो के सभी निदेशक
3. अध्यक्ष, व सदस्य गण व सचिव, एएसआरबी
4. स्थापना प्रभाग, डेयर
5. माननीय कृषि मंत्री के निजी सहायक
6. महानिदेशक, आईसीएआर के वरि. प्रधान निजी सचिव/सचिव, आईसीएआर के प्रधान निजी सचिव/वित्तीय सलाहकार, डेयर/आईसीएआर के प्रधान निजी सचिव
7. आईसीएआर वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ मीडिया इकाई
8. गार्ड फाईल/अतिरिक्त प्रतियां